



Neutral Citation No. – 2026:AHC:174293

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-29079 वर्ष 2026

पिटू उर्फ योगेंद्र

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता:

मनोज कुमार सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता:

शा.अधि.

न्यायालय संख्या-82

माननीय न्यायमूर्ति हरवीर सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अ.शा.अधि. को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से, आवेदक जो मुकदमा अपराध संख्या-68 सन् 2024, धारा 395 तथा 412 भारतीय दंड संहिता, थाना जी.आर.पी., जनपद अलीगढ़ में लिप्त है और 22.6.2024 से जेल में है, विचारण की अवधि में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना कर रहा है।
3. यह आवेदक का तीसरा जमानत प्रार्थना पत्र है। आवेदक का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.2.2026 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 40437 सन् 2024 में पैरवी के अभाव में खारिज किया गया था, बाद में आवेदक का दूसरा जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.7.2026 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 16956 सन् 2026 में वापस लिए जाने के रूप में खारिज किया गया था।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के लगभग अठारह दिनों की अत्यधिक तथा अस्पष्टीकृत देरी के बाद दर्ज कराई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक से केवल 550/- रुपये बरामद किए जाने का उल्लेख है, और वह राशि उसी की थी। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं था। वर्तमान मामले में अभियुक्त के रूप में उसका नाम पहली बार सह-अभियुक्त नितिन कुमार तथा प्रमोद के स्वीकारोक्ति बयान में सामने आया और उक्त अभियुक्त-आवेदकों को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः दिनांक 7.8.2024 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 26960 सन् 2024 तथा 24866 सन् 2024 में पारित आदेशों द्वारा जमानत दी जा चुकी है। जमानत आदेशों की प्रति जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में संलग्नक-5 के रूप में संलग्न है। अंत में उन्होंने कहा कि चूंकि आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त नितिन कुमार तथा प्रमोद के समान है,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- जिन्हें जमानत दी जा चुकी है, इसलिए आवेदक भी विचारण की सुनवाई लंबित रहने की अवधि में जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
5. विद्वान अ.शा.अधि. ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया और कथन किया कि आवेदक आदतन अपराधी है। आवेदक के विरुद्ध दस मामलों का आपराधिक इतिहास है, इसलिए वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है। हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान स्थिति अन्य सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है।
6. प्रत्युत्तर में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के विरुद्ध दस मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र के प्रस्तर 20 में उचित रूप से स्पष्ट किया गया है।
7. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों को ध्यान में रखते हुए तथा यह भी ध्यान में रखते हुए कि अन्य सह-अभियुक्तगण को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है; आपराधिक इतिहास को उचित रूप से स्पष्ट किया गया है; मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस विचार का है कि आवेदक समानता के आधार पर विचारण की सुनवाई लंबित रहने की अवधि में जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
8. उपर्युक्त मामले में लिप्त आवेदक **पिंटू उर्फ योगेंद्र** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बॉन्ड निष्पादित करने तथा उतनी ही राशि के दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- i. आवेदक रिहाई के पश्चात संबंधित न्यायालय के समक्ष लंबित विचारण में नियत तिथि पर उपस्थित होता रहेगा और सहयोग करेगा।
 - ii. वह गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - iii. वह जमानत अवधि के दौरान किसी अवैध गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
9. यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति तथा निवास प्रमाण को स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए।
10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय जमानत निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति हरवीर सिंह)

18 अगस्त, 2026

फरीदुल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”